

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 210/15

संस्थापन दिनांक:-29/04/13

फाईलिंग नं. 233504003062015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

छोटेलाल पिता भादया गायकी

उम्र 53 वर्ष, निवासी बोरी,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 02.06.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 30.03.2015 की शाम करीब 04:00 बजे बोरी तुलाराम के खेत के पास रास्ता थाना आमला जिला बैतूल में अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 30.03.2015 को शाम करीब 4 बजे अपने खेत से घर आ रही थी। जब वह तुलाराम के खेत के पास पहुंची उसी समय पीछे से अभियुक्त आया और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया तथा उसकी छाती दबाने लगा और बोला कि मेरे साथ चल। जब वह चिल्लाई तो संतरीबाई, विजंती तथा तुलाराम की पत्नी दौड़ते आये तो अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। झूमा झटकी में उसकी साड़ी तथा ब्लाउस फट गये। अभियुक्त ने बुरी नियत से उसे पकड़ा और उसकी छाती दबायी थी। फरियादी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 175/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। फरियादी से एक साड़ी एवं ब्लाउस जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 354 भा०दं०सं० के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

### विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 फरियादिया (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना ग्राम बोरी की खेत की दोपहर में 3-4 बजे की है। वह घटना के समय खेत से घर की ओर आ रही थी। पीछे से अभियुक्त छोटेलाल आया और छेड़छाड़ करने लगा। घर आकर उसने सास को बताया। इसके बाद वह सास और ननंद के साथ अभियुक्त के घर गये तब अभियुक्त उन्हें मारने के लिए दौड़ा। इसके बाद उसने थाना आमला में शिकायती आवेदन दिया था। थाने में रिपोर्ट लेख की गयी थी। पुलिस ने घटना का नक्शा उसके सामने तैयार किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि पुलिस ने उससे एक सफेद कलर की साड़ी और ब्लाउस जप्त किया था। उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त ने बुरी नीयत से दोनों हाथ पकड़ लिया था।

7 प्रतिपरीक्षण में फरियादी (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि उसे पढ़ते लिखते नहीं आता है। अभियुक्त छोटेलाल का उससे जमीन का पुराना विवाद है। उसकी सास और अभियुक्त छोटेलाल की आपस में पटती नहीं थी। बकरा-बकरी के उपर से विवाद हुआ था। पहले से ही उसकी सास एवं अभियुक्त का झगड़ा था। सभी लोगों ने अभियुक्त को समझाया था कि दारु पीकर विवाद मत करो। उन्होंने अभियुक्त की गाली गलौच और विवाद करने की रिपोर्ट की थी। जब रिपोर्ट करने के लिए गये थे तब पुलिस वालों ने कहा

था कि अभियुक्त की छेड़छाड़ की रिपोर्ट कर दो तभी वह सीधा होगा। जैसा पुलिस वालो ने कहा था वैसी रिपोर्ट कर दी। जिस समय गाली गलौच का विवाद हुआ था उस समय संतरीबाई, बैजंतीबाई और तुलाराम ने उन्हें समझा बूझाकर अलग कर दिया था। इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। अभियुक्त अपने घर चला गया था और वह अपने घर वापस आ गयी थी। **अभियुक्त ने उससे कुछ बोला नहीं था, कोई छेड़छाड़ भी नहीं की थी।** अभियुक्त रिश्ते में उसका ससुर लगता है। सास से अभियुक्त का विवाद है। पुलिस ने जहां-जहां कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा वहां-वहां हस्ताक्षर कर दिये थे। यदि अभियुक्त दारु पीकर गाली गलौच नहीं करता तो वह उसकी छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट नहीं करती।

8 प्रकरण में साक्षी राजेश (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह अभियुक्त एवं फरियादी को जानता है लेकिन उसे घटना के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, जप्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह गांव का कोटवार था। जब भी कोई घटना गांव में होती है तो पुलिस कोटवार को बुलाकर जहां कहीं हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, करा लेती है। इस प्रकार उक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

9 प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-2) ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। साक्षी अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। साक्षी ने अभियुक्त की मात्र गाली गलौच के विवाद पर से रिपोर्ट करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, उसे कुछ नहीं बोला था। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में अत्यन्त संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः अभियुक्त छोटेलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 प्रकरण में जप्त सुदा साड़ी एवं ब्लाउस अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किये जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)